

कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय, घुमका, जिला-राजनांदगाँव (छ.ग.)

E-mail-govt.collegeghumka@gmail.com, website-www.rabcollege.ac.in

क्रमांक / 257/स्था./2022

घुमका, दिनांक: 21/07/2022

नियतकालिक वेतन - वृद्धि सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि नीचे जिन शासकीय कर्मचारियों के नामों का उल्लेख है, उन्होंने वेतन - वृद्धियों के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की तथा अवैतनिक छुट्टी संबंधी अनुपस्थिति आदि की अवधियों को घटाने के बाद खाने (5) में दी गई तारीख से वर्ष से कम न होने वाली अवधि तक उल्लिखित पदों पर पदाधिकारियों के रूप में रहकर, खाने (6) में दी गई तारीख से निर्धारित नियतकालिक वेतन-वृद्धियों अर्जित की है, आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि तारीख से तक और तारीख से तक ली गई छुट्टी की अवधि अथवा अवधियां नीचे उल्लिखित स्थापन शासकीय कर्मचारी/कर्मचारियों के सामने में वेतन-वृद्धि के लिए गिनी गई है/है, उनके/उसके दौरान वह/वे यदि छुट्टी पर नहीं जाते, तो पद/पदों पर स्थापनापन्न रूप से कार्य करता रहता/करते रहते।
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित शासकीय कर्मचारी/कर्मचारियों ने इससे सम्बद्ध स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन में बताये गये कारणों से दी गई तारीख से नियतकालिक वेतन-वृद्धि अर्जित की है/अर्जित करेगा/करेंगे।

पदधारी का नाम	मूल या स्थानापन्न	पद का वेतनमान	वर्तमान वेतन	जिस तारीख से वेतन वर्तमान की रकम निकाली गई है वह तारीख	वर्तमान वेतन की तारीख	अगला वेतन	वृद्धि के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थिति			अवैतनिक छुट्टी तथा उनके मामले में जो स्थापनापन्न रूप से पदों पर है, वह सभी प्रकार की छुट्टी के दौरान वह/वे पदों पर स्थापनापन्न रूप से कार्य करता रहता/करते रहते
							से	तक	से	
श्री शिवनारायण कामंडी	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सहायक प्राध्यापक, प्राणीशास्त्र	स्थानापन्न	13A	198700	01-07-2021	01-07-2022	204700	-	-	-	-

टिप्पणी:- 1. जब दावा की गई वेतन-वृद्धि पहली ऐसी वेतन-वृद्धि हो, जिससे किसी शासकीय कर्मचारी का दक्षतावरोध पार होता हो, तब खाने (5), (6) तथा (7) ताल स्याही से भरे जाने चाहिए।

2. प्रमाण पत्र (1) या (2) के लागू होने के अनुसार प्रत्येक नाम के सामने अंक (1) या (2) देना चाहिए जिस किसी मामले में प्रमाण पत्र (2) लागू होता हो उसमें स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन प्रस्तुत किया ही जाना चाहिए।



प्राचार्य
M. V. V. V.

कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय, घुमका, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)
(नियंत्रक नियम 264 तथा 265 देखिए)

E-mail -govt.collegeghumka@gmail.com, website - www.rabcollege.ac.in

फॉर्म म.प्र. को.27

क्रमांक /257 /स्था./2022

सुनका, दिनांक: 21/07/2022

नियतकालिक वेतन - वृद्धि सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि नीचे जिन शासकीय कर्मचारियों के नामों का उल्लेख है, उन्होंने वेतन - वृद्धियों के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की तथा अवैतनिक छुट्टी संबंधी अनुपस्थिति आदि की अवधियों, को घटाने के बाद खाने (5) में दी गई तारीख से वर्ष से कम न होने वाली अवधि तक उल्लिखित पदों पर पदाधिकारियों के रूप में रहकर, खाने (6) में दी गई तारीख से निर्धारित नियतकालिक वेतन-वृद्धियों अर्जित की है, आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि तारीख तक और तारीख से तक ती गई छुट्टी की अवधि अथवा अवधियां नीचे उल्लिखित स्थापना शासकीय कर्मचारी/कर्मचारियों के सामने में वेतन-वृद्धि के लिए गिनी गई है/है, उनके/उसके दौरान वह/वे यदि छुट्टी पर नहीं जात, तो पद/पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता/करते रहते।
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित शासकीय कर्मचारी/कर्मचारियों ने इससे सम्बद्ध स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन में बताये गये कारणों से दी गई तारीख से नियतकालिक वेतन-वृद्धि अर्जित की है/अर्जित करेगा/करेंगे।

पदधारी का नाम	मूल या स्थानापन्न	पद का वर्तमान वेतन	जिस तारीख से वेतन वर्तमान की रकम निकाली गई है वह तारीख	वर्तमान वेतन की वृद्धि तारीख	अगला वेतन	वृद्धि के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थिति	अवैतनिक छुट्टी तथा उनके मामले में जो स्थानापन्न रूप से पदों पर है, वह सभी प्रकार की छुट्टी के दौरान वह/वे पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता/करते रहते
डॉ. सत्यदेव त्रिपाठी	स्थापनापन्न	13A	01-07-2021	01-07-2022	187300	से 8 तक 9	से 10 तक 11
सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य	स्थापनापन्न	13A	01-07-2021	01-07-2022	187300	-	-

टिप्पणी:- 1. जब दावा की गई वेतन-वृद्धि पहली ऐसी वेतन-वृद्धि हो, जिससे किसी शासकीय कर्मचारी का दक्षतावरोध पार होता हो, तब खाने (5), (6) तथा (7) लाल स्पाही से भरे जाने चाहिए।
2. प्रमाण पत्र (1) या (2) के लागू होने के अनुसार प्रत्येक नाम के सामने अंक (1) या (2) देना चाहिए जिस किसी मामले में प्रमाण पत्र (2) लागू होता हो उसमें स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन प्रस्तुत किया ही जाना चाहिए।

E:sharan/Increment-Grade-II

Sharan

शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय,
घुमका, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)
प्राचार्य
Sharan

क्रमांक /257 /स्था /2022

घुमका, दिनांक: 24/07/2022

नियतकालिक वेतन - वृद्धि सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि नीचे जिन शासकीय कर्मचारियों के नामों का उल्लेख है, उन्होंने वेतन - वृद्धियों के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की तथा अवैतनिक छुट्टी संबंधी अनुपस्थिति आदि की अवधियों, को घटाने के बाद खाने (5) में दी गई तारीख से वर्ष से कम न होने वाली अवधि तक उल्लिखित पदों पर पदाधिकारियों के रूप में रहकर, खाने (6) में दी गई तारीख से निर्धारित नियतकालिक वेतन-वृद्धियों अर्जित की है, आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि तारीख से तक और तारीख से तक ती गई छुट्टी की अवधि अथवा अवधियां नीचे उल्लिखित स्थापना शासकीय कर्मचारी/कर्मचारियों के सामने में वेतन-वृद्धि के लिए गिनी गई है/है, उनके/उसके दौरान वह/वे यदि छुट्टी पर नहीं जात, तो पद/पदों पर स्थापनापन्न रूप से कार्य करता रहता/करते रहते।
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित शासकीय कर्मचारी/कर्मचारियों ने इससे सम्बद्ध स्पष्टीकरणत्मक ज्ञापन में बताये गये कारणों से दी गई तारीख से नियतकालिक वेतन-वृद्धि अर्जित की है/अर्जित करेगा/करेंगे।

पदधारी का नाम	मूल स्थानापन्न	पद का वेतनमान	वर्तमान वेतन	जिस तारीख से वेतन वर्तमान की रकम निकाली गई है वह तारीख	वर्तमान वेतन की वृद्धि तारीख	अगला वेतन	वृद्धि के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थिति		अवैतनिक छुट्टी तथा उनके मामले में जो स्थापनापन्न रूप से पदों पर है, वह सभी प्रकार की छुट्टी के दौरान वह/वे पदों पर स्थापनापन्न रूप से कार्य करता रहता/करते रहते	
							से	तक		से
डॉ. केशवदास देशलहरा सहಾಯक प्राध्यापक, हिंदी	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		13A	187300	01-07-2021	01-07-2022	192900	-	-	-	-

टिप्पणी:- 1. जब दावा की गई वेतन-वृद्धि पहली ऐसी वेतन-वृद्धि हो, जिससे किसी शासकीय कर्मचारी का दक्षतावरोध पार होता हो, तब खाने (5), (6) तथा (7) लाल स्थाही से भरे जाने चाहिए।

2. प्रमाण पत्र (1) या (2) के लागू होने के अनुसार प्रत्येक नाम के सामने अंक (1) या (2) देना चाहिए जिस किसी मामले में प्रमाण पत्र (2) लागू होता हो उसमें स्पष्टीकरणत्मक ज्ञापन प्रस्तुत किया ही जाना चाहिए।

[Signature]
प्राचार्य

शासकीय रानी अवती बाई लोधी महाविद्यालय,
घुमका, जिला-राजनांदगाँव (छ.ग.)

क्रमांक / 257 /स्था./ 2022

धुमका, दिनांक: 24/07/2022

नियतकालिक वेतन – वृद्धि सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि नीचे जिन शासकीय कर्मचारियों के नामों का उल्लेख है, उन्होंने वेतन - वृद्धियों के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की तथा अवैतनिक छुट्टी संबंधी अनुपस्थिति आदि की अवधियों, को घटाने के बाद खाने (5) में दी गई तारीख से वर्ष से कम न होने वाली अवधि तक उल्लिखित पदों पर पदाधिकारियों के रूप में रहकर, खाने (6) में दी गई तारीख से निर्धारित नियतकालिक वेतन-वृद्धियाँ अर्जित की है, आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि तारीख से तक और तारीख से तक ली गई छुट्टी की अवधि अथवा अवधियाँ नीचे उल्लिखित स्थापना शासकीय कर्मचारी / कर्मचारियों के सामने में वेतन-वृद्धि के लिए गिनी गई है / है, उनके / उसके दौरान वह / वे यदि छुट्टी पर नहीं जात, तो पद / पदों पर स्थापनापन्न रूप से कार्य करता रहता / करते रहते।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित शासकीय कर्मचारी / कर्मचारियों ने इससे सम्बद्ध स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन में बताये गये कारणों से दी गई तारीख से नियतकालिक वेतन-वृद्धि अर्जित की है / अर्जित करेगा / करेगी।

पदधारी का नाम	मूल या स्थानापन्न	पद का वेतनमान	वर्तमान वेतन	जिस तारीख वेतन वर्तमान की रकम निकाली गई है वह तारीख	वर्तमान वेतन की तारीख	अगला वेतन	वृद्धि के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थिति		अवैतनिक छुट्टी तथा उनके मामले में जा स्थापनापन्न रूप से पदों पर है, वह सभी प्रकार की छुट्टी के दौरान वह / वे पदों पर स्थापनापन्न रूप से कार्य करता रहता / करते रहते	
							से	तक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
डॉ. रोहन प्रसाद	स्थानापन्न	13A	176500	01-07-2021	01-07-2022	181800	-	-	-	-
सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र										

टिप्पणी:— 1. जब दावा की गई वेतन-वृद्धि पहली ऐसी वेतन-वृद्धि हो, जिससे किसी शासकीय कर्मचारी का दक्षतावरोध पार होता हो, तब खाने (5), (6) तथा (7) लाल स्पाही से भरे जाने चाहिए।

2. प्रमाण पत्र (1) या (2) के लागू होने के अनुसार प्रत्येक नाम के सामने अंक (1) या (2) देना चाहिए जिस किसी मामले में प्रमाण पत्र (2) लागू होता हो उसमें स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन प्रस्तुत किया ही जाना चाहिए।




प्राचार्य

कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय, घुमका, जिला-राजनांदगाँव (छ.ग.)

E-mail-govt.collegeghumka@gmail.com, website-www.rabcollege.ac.in

क्रमांक / 257 / रशी. / 2022

घुमका, दिनांक: 24/07/2022

नियतकालिक वेतन - वृद्धि सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि नीचे जिन शासकीय कर्मचारियों के नामों का उल्लेख है, उन्होंने वेतन - वृद्धियों के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की तथा अवैतनिक छुट्टी संबंधी अनुपस्थिति आदि की अवधियों, को घटाने के बाद खाने (5) में दी गई तारीख से वर्ष से कम न होने वाली अवधि तक उल्लिखित पदों पर पदाधिकारियों के रूप में रहकर, खाने (6) में दी गई तारीख से निर्धारित नियतकालिक वेतन-वृद्धियों अर्जित की है, आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि तारीख तक और तारीख तक ली गई छुट्टी की अवधि अथवा अवधियां नीचे उल्लेखित स्थापन शासकीय कर्मचारी / कर्मचारियों के सामने में वेतन-वृद्धि के लिए गिनी गई है / है, उनके / उसके दौरान वह / वे यदि छुट्टी पर नही जात, तो पद / पदों पर स्थापनापन्न रूप से कार्य करता रहता / करते रहते।
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित शासकीय कर्मचारी / कर्मचारियों ने इससे सम्बद्ध स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन में बताये गये कारणों से दी गई तारीख से नियतकालिक वेतन-वृद्धि अर्जित की है / अर्जित करेगा / करेगी।


पदधारी का नाम	मूल या स्थानापन्न	पद का वेतनमान	वर्तमान वेतन	जिस तारीख से वर्तमान की वेतन रकम निकाली गई है वह तारीख	वर्तमान वेतन की वृद्धि तारीख	अगला वेतन	वृद्धि के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थिति		अवैतनिक छुट्टी तथा उनके मामले में जो स्थापनापन्न रूप से पदों पर है, वह सभी प्रकार की छुट्टी के दौरान वह / वे पदों पर स्थापनापन्न रूप से कार्य करता रहता / करते रहते	
							से तक	से तक		
1 श्रीमती प्रीति खुरसैल सहायक प्राध्यापक, रसायनशास्त्र	2 स्थानापन्न	3 Level - 10	4 57700	5 01-07-2018	6 दक्षतावरोध	7	8 -	9 -	10 -	11 -

- परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के उपरान्त वेतन वृद्धि दी जायेगी।

टिप्पणी:- 1. जब दावा की गई वेतन-वृद्धि पहली ऐसी वेतन-वृद्धि हो, जिससे किसी शासकीय कर्मचारी का दक्षतावरोध पार होता हो, तब खाने (5), (6) तथा (7) लाल स्पाही से भरे जाने चाहिए।

2. प्रमाण पत्र (1) या (2) के लागू होने के अनुसार प्रत्येक नाम के सामने अंक (1) या (2) देना चाहिए जिस किसी मामले में प्रमाण पत्र (2) लागू होता हो उसमें स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन प्रस्तुत किया ही जाना चाहिए।

E:shadanan/Increment-Grade-II


शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय,
घुमका, दिनांक: 24/07/2022

नियतकालिक वेतन - वृद्धि सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि नीचे जिन शासकीय कर्मचारियों के नामों का उल्लेख है, उन्होंने वेतन - वृद्धियों के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की तथा अवैतनिक छुट्टी संबंधी अनुपस्थिति आदि की अवधियों, को घटाने के बाद खाने (5) में दी गई तारीख से वर्ष से कम न होने वाली अवधि तक उल्लिखित पदों पर पदाधिकारियों के रूप में रहकर, खाने (6) में दी गई तारीख से निर्धारित नियतकालिक वेतन-वृद्धियाँ अर्जित की है, आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि तारीख से तक और तारीख से तक ली गई छुट्टी की अवधि अथवा अवधियाँ नीचे उल्लेखित स्थापन शासकीय कर्मचारी / कर्मचारियों के सामने में वेतन-वृद्धि के लिए गिनी गई है / है, उनके / उसके दौरान वह / वे यदि छुट्टी पर नहीं जात, तो पद / पदों पर स्थापनापन्न रूप से कार्य करता रहता / करते रहते।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित शासकीय कर्मचारी / कर्मचारियों ने इससे सम्बद्ध स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन में बताये गये कारणों से दी गई तारीख से नियतकालिक वेतन-वृद्धि अर्जित की है / अर्जित करेगा / करेगी।

पदधारी का नाम	मूल या स्थानापन्न	पद का वेतनमान	वर्तमान वेतन	जिस तारीख से वेतन रकम निकाली गई है वह तारीख	वर्तमान वेतन की वृद्धि तारीख	अगला वेतन	वृद्धि के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से		अवैतनिक छुट्टी तथा उनके मामले में जो स्थापनापन्न रूप से पदों पर है, वह सभी प्रकार की छुट्टी के दौरान वह / वे पदों पर स्थापनापन्न रूप से कार्य करता रहता / करते रहते	
							से	तक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
श्री दीपक वर्मा	स्थानापन्न	Level - 10	40390	01-07-2022		दक्षतावरोध	-	-	-	-

परिचीक्षा अवधि समाप्त होने के उपरान्त वेतन वृद्धि दी जायेगी।

टिप्पणी:- 1. जब दावा की गई वेतन-वृद्धि पहली ऐसी वेतन-वृद्धि हो, जिससे किसी शासकीय कर्मचारी का दक्षतावरोध पार होता हो, तब खाने (5), (6) तथा (7) लाल स्टाही से भरे जाने चाहिए।

2. प्रमाण पत्र (1) या (2) के लागू होने के अनुसार प्रत्येक नाम के सामने अंक (1) या (2) देना चाहिए जिस किसी मामले में प्रमाण पत्र (2) लागू होता हो उसमें स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन प्रस्तुत किया ही जाना चाहिए।



शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय,
मुमका, जिला-राजनांदगाँव (छ.ग.)
प्राचार्य

कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय, घुमका, जिला-राजनांदगाँव (छ.ग.)

(सहायक नियम 264 तथा 265 देखिए)

E-mail -govt.collegeghumka@gmail.com, website - www.rabicollege.ac.in

क्रमांक /257 /स्था./2022

घुमका, दिनांक: 21/07/2022

नियतकालिक वेतन - वृद्धि सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि नीचे जिन शासकीय कर्मचारियों के नामों का उल्लेख है, उन्होंने वेतन - वृद्धियों के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की तथा अवैतनिक छुट्टी संबंधी अनुपस्थिति आदि की अवधियों को घटाने के बाद खाने (5) में दी गई तारीख से वर्ष से कम न होने वाली अवधि तक उल्लिखित पदों पर पदाधिकारियों के रूप में रहकर, खाने (6) में दी गई तारीख से निर्धारित नियतकालिक वेतन-वृद्धियों अर्जित की है, आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि तारीख से तक और तारीख से तक ली गई छुट्टी की अवधि अथवा अवधियां नीचे उल्लेखित स्थानापन्न शासकीय कर्मचारी/कर्मचारियों के सामने में वेतन-वृद्धि के लिए गिनी गई है/है, उनके/उसके दौरान वह/वे यदि छुट्टी पर नहीं जात, तो पद/पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता/करते रहते।
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित शासकीय कर्मचारी/कर्मचारियों ने इससे सम्बद्ध स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन में बताये गये कारणों से दी गई तारीख से नियतकालिक वेतन-वृद्धि अर्जित की है/अर्जित करेगा/करेंगे।

पदधारी का नाम	मूल या स्थानापन्न	पद का वेतनमान	वर्तमान वेतन	जिस तारीख से वर्तमान वेतन की रकम निकाली गई है वह तारीख	वर्तमान वेतन की वृद्धि तारीख	अगला वेतन	वृद्धि के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थिति	अवैतनिक छुट्टी तथा उनके मानने में जो स्थानापन्न रूप से पदों पर है, वह सभी प्रकार की छुट्टी के दौरान वह/वे पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता/करते रहते		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
श्री भारतेन्दु प्रसाद वर्मा	स्थानापन्न	Level - 10	40390	01-07-2022	दक्षतावरोध		-	-	-	-

- परीक्षा अवधि समाप्त होने के उपरांत वेतन वृद्धि दी जायेगी।

टिप्पणी:- 1. जब दावा की गई वेतन-वृद्धि पहली ऐसी वेतन-वृद्धि हो, जिससे किसी शासकीय कर्मचारी का दक्षतावरोध पार होता हो, तब खाने (5), (6) तथा (7) ताल स्थाही से भरे जाने चाहिए।

2. प्रमाण पत्र (1) या (2) के लागू होने के अनुसार प्रत्येक नाम के सामने अंक (1) या (2) देना चाहिए जिस किसी मामले में प्रमाण पत्र (2) लागू होता हो उसमें स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन प्रस्तुत किया ही जाना चाहिए।

प्राचार्य

शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय,

घुमका, जिला-राजनांदगाँव (छ.ग.)

क्रमांक / 257 / स्थ. / 2022

घुमका, दिनांक: 21/07/2022

नियतकालिक वेतन – वृद्धि सम्बन्धी प्रमाण—पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि नीचे जिन शासकीय कर्मचारियों के नामों का उल्लेख है, उन्होंने वेतन – वृद्धियों के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की तथा अवैतनिक छुट्टी संबंधी अनुपस्थिति आदि की अवधियों, को घटाने के बाद खाने (5) में दी गई तारीख से वर्ष से कम न होने वाली अवधि तक उल्लिखित पदों पर पदाधिकारियों के रूप में रहकर, खाने (6) में दी गई तारीख से नियुक्ति निर्यतकालिक वेतन-वृद्धियों अर्जित की है. आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि तारीख से तक और तारीख से तक ली गई छुट्टी की अवधि अथवा अवधियां नीचे उल्लिखित स्थानापन्न शासकीय कर्मचारी / कर्मचारियों के सामने में वेतन-वृद्धि के लिए गिनी गई है/है, उनके दौरान वह/वे यदि छुट्टी पर नहीं जाते, तो पद/पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता/करते रहते।
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित शासकीय कर्मचारी / कर्मचारियों ने इससे सम्बद्ध स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन में बताये गये कारणों से दी गई तारीख से नियतकालिक वेतन-वृद्धि अर्जित की है/अर्जित करेगा/करेंगे।

पदधारी का नाम	मूल या स्थानापन्न	पद का वेतनमान	वर्तमान वेतन	जिस तारीख से वेतन वर्तमान की रकम निकाली गई है वह तारीख	वर्तमान वेतन की वृद्धि तारीख	अगला वेतन	वृद्धि के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थिति			अवैतनिक छुट्टी तथा उनमें से जो स्थानापन्न रूप से पदों पर है, वह सभी प्रकार की छुट्टी के दौरान वह/वे पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता/करते रहते
							से	तक	से	
श्री दुर्गा प्रसाद चौधरी	2	Level - 4 5200-20200	4	01-07-2021	01-07-2022	7	8	9	10	11
सहायक ग्रेड-2			28500			29400	-	-	-	-

टिप्पणी – 1. जब दावा की गई वेतन-वृद्धि पहली ऐसी वेतन-वृद्धि हो, जिससे किसी शासकीय कर्मचारी का दस्तावेज पार होता हो, तब खाने (5), (6) तथा (7) लागू स्थायी से भरे जाने चाहिए।

2. प्रमाण पत्र (1) या (2) के लागू होने के अनुसार प्रत्येक नाम के सामने अंक (1) या (2) देना चाहिए जिस किसी मामले में प्रमाण पत्र (2) लागू होता हो उसमें स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन प्रस्तुत किया ही जाना चाहिए।



प्राचार्य
शासकीय रानी अक्टो बार्ड लोधी महाविद्यालय,
घुमका, जिला—राजनांदगाँव (छ.ग.)

कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय, घुमका, जिला-राजनांदगाँव (छ.ग.)

E-mail -govt.collegeghumka@gmail.com, website - www.rabcollege.ac.in

क्रमांक / 257 /स्था. / 2022

घुमका, दिनांक: 21/07/2022

नियतकालिक वेतन - वृद्धि सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि नीचे जिन शासकीय कर्मचारियों के नामों का उल्लेख है, उन्होंने वेतन - वृद्धियों के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की तथा अवैतनिक छुट्टी संबंधी अनुपस्थिति आदि की अवधियों, को घटाने के बाद खाने (5) में दी गई तारीख से वर्ष से कम न होने वाली अवधि तक उल्लिखित पदों पर पदाधिकारियों के रूप में रहकर, खाने (6) में दी गई तारीख से निश्चित नियतकालिक वेतन-वृद्धियों अर्जित की है, आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि तारीख से तक ती गई छुट्टी की अवधि अथवा अवधियां नीचे उल्लिखित स्थापना शासकीय कर्मचारी / कर्मचारियों के सामने में वेतन-वृद्धि के लिए गिनी गई है / है, उनके / उसके दौरान वह / वे यदि छुट्टी पर नहीं जाते, तो पद / पदों पर स्थापना रूप से कार्य करता रहता / करते रहते।
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित शासकीय कर्मचारी / कर्मचारियों ने इससे सम्बद्ध स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन में बताये गये कारणों से दी गई तारीख से नियतकालिक वेतन-वृद्धि अर्जित की है / अर्जित करेगा / करेगी।

पदधारी का नाम	मूल या स्थानापन्न	पद का वेतनमान	वर्तमान वेतन	जिस तारीख से वर्तमान वेतन की रकम निकाली गई है वह तारीख	वर्तमान वेतन की तारीख	अगला वेतन	वृद्धि के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से		अवैतनिक छुट्टी तथा उनके मामले में जो स्थापना रूप से पदों पर है, वह सभी प्रकार की छुट्टी के दौरान वह / वे पदों पर स्थापना रूप से कार्य करता रहता / करते रहते	
							से	तक		से
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
श्री खिलेश्वर हिरवानी	स्थानापन्न	Level - 3	20900	01-07-2021	01-07-2022	21500	-	-	-	-
प्रयोगशाला परिचारक		5200-20200								

टिप्पणी:- 1. जब दावा की गई वेतन-वृद्धि पहली ऐसी वेतन-वृद्धि हो, जिससे किसी शासकीय कर्मचारी का दक्षतावरोध पार होता हो, तब खाने (5), (6) तथा (7) ताल स्याही से भरे जाने चाहिए।

2. प्रमाण पत्र (1) या (2) के लागू होने के अनुसार प्रत्येक नाम के सामने अंक (1) या (2) देना चाहिए जिस किसी मामले में प्रमाण पत्र (2) लागू होता हो उसमें स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन प्रस्तुत किया ही जाना चाहिए।

प्राचार्य

शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय,
घुमका, जिला-राजनांदगाँव (छ.ग.)


क्रमांक / 257 / रघा. / 2022

घुमका, दिनांक: 21/07/2022

नियतकालिक वेतन — वृद्धि सम्बन्धी प्रमाण—पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि नीचे जिन शासकीय कर्मचारियों के नामों का उल्लेख है, उन्होंने वेतन - वृद्धियों के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की तथा अवैतनिक छुट्टी संबंधी अनुपस्थिति आदि की अवधियों, को घटाने के बाद खाने (5) में दी गई तारीख से वर्ष से कम न होने वाली अवधि तक उल्लिखित पदों पर पदाधिकारियों के रूप में रहकर, खाने (6) में दी गई तारीख से निर्धारित नियतकालिक वेतन-वृद्धियों अर्जित की है, आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि तारीख से तक और तारीख से तक ती गई छुट्टी की अवधि अथवा अवधियां नीचे उल्लेखित स्थापना शासकीय कर्मचारी / कर्मचारियों के सामने में वेतन-वृद्धि के लिए गिनी गई है/है. उनके/उसके दौरान वह/वे यदि छुट्टी पर नहीं जात, तो पद/पदों पर स्थापनापन रूप से कार्य करता रहता/करते रहते।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित शासकीय कर्मचारी / कर्मचारियों ने इससे सम्बद्ध स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन में बताया गये कारणों से दी गई तारीख से नियतकालिक वेतन-वृद्धि अर्जित की है / अर्जित करेगा / करेगी।

पदधारी का नाम	मूल या स्थानापन	पद का वेतनमान	वर्तमान वेतन	जिस तारीख से वर्तमान वेतन की रकम निकाली गई है वह तारीख	वर्तमान वेतन की वृद्धि तारीख	अगला वेतन	वृद्धि के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से		अवैतनिक छुट्टी तथा उनके मामले में जो स्थापनापन रूप से पदों पर है, वह सभी प्रकार की छुट्टी के दौरान वह/वे पदों पर स्थापनापन रूप से कार्य करता रहता/करते रहते	
							से	तक		
श्री रमेश कुमार यादव बुक लिप्टर	2	Level - 3 5200-20200	4	5	6	7	8	9	10	11
							-	-	-	-

टिप्पणी:— 1. जब दावा की गई वेतन-वृद्धि पहली ऐसी वेतन-वृद्धि हो, जिससे किसी शासकीय कर्मचारी का दक्षतावरोध पार होता हो, तब खाने (5), (6) तथा (7) लाल स्याही से भरे जाने चाहिए।

2. प्रमाण पत्र (1) या (2) के लागू होने के अनुसार प्रत्येक नाम के सामने अंक (1) या (2) देना चाहिए जिस किसी मामले में प्रमाण पत्र (2) लागू होता हो उसमें स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन प्रस्तुत किया ही जाना चाहिए।



प्राचार्य
शासकीय सनी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय,
घुमका, जिला—राजनांदगाँव (छ.ग.)

क्रमांक / 257 / स्या. / 2022

नियतकालिक वेतन - वृद्धि सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

घुमका, दिनांक: 24/07/2022

1. प्रमाणित किया जाता है कि नीचे जिन शासकीय कर्मचारियों के नामों का उल्लेख है, उन्होंने वेतन - वृद्धियों के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की तथा अवैतनिक छुट्टी संबंधी अनुपस्थिति आदि की अवधियों, को घटाने के बाद खाने (5) में दी गई तारीख से वर्ष से कम न होने वाली अवधि तक उल्लिखित पदों पर पदाधिकारियों के रूप में रहकर, खाने (6) में दी गई तारीख से निर्धारित नियतकालिक वेतन-वृद्धियों अर्जित की है, आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि तारीख से तक और तारीख से तक ती गई छुट्टी की अवधि अथवा अवधियों नीचे उल्लेखित स्थानापन्न शासकीय कर्मचारी/कर्मचारियों के सामने में वेतन-वृद्धि के लिए गिनी गई है/है, उनके/उसके दौरान वह/वे यदि छुट्टी पर नहीं जात तो पद/पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता/करते रहते।
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित शासकीय कर्मचारी/कर्मचारियों ने इससे सम्बद्ध स्पष्टीकरणत्मक जापन में बताये गये कारणों से दी गई तारीख से नियतकालिक वेतन-वृद्धि अर्जित की है/अर्जित करेगा/करेंगे।

पदधारी का नाम	मूल या स्थानापन्न	पद वेतनमान	वर्तमान वेतन	जिस तारीख से वर्तमान वेतन रकम निकाली गई है वह तारीख	वर्तमान वेतन की तारीख	अगला वेतन	वृद्धि के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थिति		अवैतनिक छुट्टी तथा उनक मामले में जो स्थानापन्न रूप से पदों पर है, वह सभी प्रकार की छुट्टी के दौरान वह/वे पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता/करते रहते	
							से	तक		से
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
श्री श्यामलाल धोबी चौकीदार	स्थानापन्न	Level - 3 5200-20200	33400	01-07-2021	01-07-2022	34400	-	-	-	-

टिप्पणी:- 1. जब दावा की गई वेतन-वृद्धि पहली ऐसी वेतन-वृद्धि हो, जिससे किसी शासकीय कर्मचारी का दक्षतावशेष पार होता हो, तब खाने (5), (6) तथा (7) लाल स्थाही से भरे जाने चाहिए।

2. प्रमाण पत्र (1) या (2) के लागू होने के अनुसार प्रत्येक नाम के सामने अंक (1) या (2) देना चाहिए जिस किसी मामले में प्रमाण पत्र (2) लागू होता हो उसमें स्पष्टीकरणत्मक जापन प्रस्तुत किया ही जाना चाहिए।



शासकीय रानी अवती बाई लोधी महाविद्यालय,
घुमका, जिला-राजनांदगाँव (छ.ग.)
प्राचार्य
